न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/87) जिला–नागौर

1. गोविन्द राम पुत्र सादुलराम जाति जाट निवासी हेसाब तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार विद्वान तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर।
2. ग्राम पंचायत आंचीणा जरिये सचिव

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर दिनांक 30–7–2021
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 352/2021
बउनवान सरकार बनाम ग्राम पंचायत आंचीणा

––––

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 06–07–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 के तहत उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत आंचीणा तहसील खींवसर जिला नागौर में स्थित आराजी खसरा नम्बर1199/241, 1328/241, 241, 1327/241 मे से चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी को भी पक्षकार बनाए बिना और खातेदारो को नोटिस जारी किये बिना आदेश दिनांक 30–7–2021 द्वारा विधि के प्रावधानो के विपरीत जाकर स्वीकार कर लिया एवं अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1199/241 की पूर्वी मेड से लगते हुए खसरा संख्या 243 की बजाय रास्ते का गलत रूप से अंकन अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि के पश्चिम मेड़ पर आराजी के मध्य पर दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के

उक्त आदेश दिनांक 30–7–2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 132 व 131 एल.आर.एक्ट के निर्णय में अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना ही खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1199/241 की पूर्वी मेड व खसरा नम्बर 243 की पश्चिमी मेडपरस्थित रास्ते का अंकन गलत रूप से खसरा नम्बर 1199/241 के मध्य में से किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा था कि विवादित आराजियात खातेदारी की आराजियात है। इस प्रकार खसरा नम्बर 241 के पूर्व में स्थित खसरा नम्बर 243 की मेड पर स्थित रास्ते का गलत अंकन का अनुतोष अपीलार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना प्राप्त कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी का नाम अंकित नही किया गया और ना ही उसे पक्षकार बनाया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारितनिर्णय में अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि बाबत निर्णय पारित किया है जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों व भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्कहैकि अपीलार्थी विवादित भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है इसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91से भी होती है लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का समचित अवसर प्रदान करना चाहिए था। धारा 131 व 132 में प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत केवल सेटलमेंट द्वारा की गई गलतियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है । तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त रास्ता सेटलमेंट के पूर्व राजस्व रेकार्ड में पश्चिम दिशा में अंकित था। मौके पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त है और मौके पर पश्चिमी दिशा में कोई रास्ता नहीं है एवं पूर्व में दिनांक 23–7–2003 में आपसी राजीनामा जोकि 100 रूपये के स्टॉम्प पर लिखा गया था उसमें अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 241 के पूव्र में स्थित खसरा नम्बर 242 की मेड से गंगाराम, मलाराम पुत्रान श्रीरामाराम जाति जाट निवासी आचीणा ने गोविन्दराम, नारायण राम भंवरूराम, पुत्रान सादुलराम के हक में खसरा नम्बर 251 में आने जाने का रास्ता दिया गया था जो सभी खातेदारों की आपसी सहमति से दिया गया है। इस प्रकार पूर्व में रास्ता दिये जानेके बाद भी गलत रूप से अपीलार्थीकी बंटशुदाभूमि खसरा नम्बर1199/241 की पश्चिमी मेड़ से नया रास्ता मुर्तिब किया जाना अनुचित है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत आचीणा के ग्राम हेसबा में विवादित आराजियात में 1199/241 में से कदीमी रास्ता वर्षो पूर्व से मौके पर चल रहे है तथा सार्वजनिक रास्ता जो बारहमासी है तथा मोसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है इस प्रकार इन रास्तों का जनसुविधाको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्जकरने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, खींवसर द्वारा ग्राम आचीणा के ग्रम हेसाबा तहसील खींवसर के खसरा नम्बर 1199/241, 1328/241, 241, 1327/241 रकबा 2.8490, 2.8490, 2.8571, 2.8490 किस्म बारानी 2 में से प्रस्तावित रकबा 0.0266, 0.0050, 0.1438, 0.1666 में चल रहे रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में करवाने हेतु प्रस्तुत किया परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ते को काफी पुराने समय से चालू होना बताया है। उक्त आधार पर तहसीलदार खींवसर का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बरान के रास्तेका अंकन राजस्व अभिलेख में रास्ता जो चालू है का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में करने के आदेश पारित कर दिये तथा खातेदार भूमि उसकी खातेदारी में ही रहेगी बाबत आदेश पारित कर दिये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा जिस भूमि में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है उसमें अपीलार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1199/241 की पूर्वी मेड व खसरा नम्बर 243 की पश्चिमी मेडपर स्थित रास्ते काअंकन गलत रूप से खसरा नम्बर 1199/241 के मध्य में से किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि पटवारी की रिपोर्टसे स्पष्ट हो रहा था कि विवादित आराजियात खातेदारी की आराजियात है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि किसी भी खातेदार की भूमि को अधिग्रहण करना अथवा उसमें से रास्ता निकालना हो तो उस खातेदार को सुनना आवश्यक है बिना सुने उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित करना उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में से रास्ता दर्ज

करने से पूर्व रेकार्डेड खातेदार काश्तकार श्री गोविन्दराम पुत्र सादुलराम को पक्षकार बनाकर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30–7–2021 में किसी भी पक्षकार एवं पड़ौसी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं कराये गये है। नियमों में प्रावधान है कि किसी भी खातेदार की भूमि मे से रास्ता दर्ज करने हेतु रेकार्डेड खातेदार एवं पड़ौसी खातदारों को विधिवत पक्षकार बनाकर व नोटिस जारी कर साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार, खींवसर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है। तहसीलदार, खींवसर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ ग्रामवासियों द्वारा रास्ता दर्ज करने हेतु कोई सामुहिक पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया हुआ है एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई सहमति पत्र ही संलग्न है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व कोई विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं किये बिना आदेश दिनांक 30–7–2021 पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2021 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 352/2021 बउनवान सरकार बनाम ग्राम पंचायत आंचीणा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खीवसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 1199/241, 243 से लगते हुए पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाकर उनकी विधिवत सुनवाई कर अपीलार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का भंलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 06–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर